

0-524

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 6.6.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

6.6.24

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वगत/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 20.6 को पेश हो।

20.6.24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि. एडी से प्राप्त हुए जिसे शा. पठ किये गये। विपक्षीगण को कित्ती बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाया है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णयपत्रक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केसल शुभार होकर मन्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या - 206/24 प्रा.पञ

1- श्री रामलाल शं. हजारी गुर्जर निवासी- भौड़ा काखड़ा तह माण्डल (वगैरा)

-प्राथ-

बनाम

1- श्री बूला शं. श्री भागूदोली निवासी- रायसिंहपुरा तहसील-माण्डल (वगैरा)
[पृष्ठांकित प्रापञ संलग्न]

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20.6.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का बरावा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1705 कुल किता 01 रकबा 0.4679 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.5.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का बरावा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1705 कुल किता 01 रकबा 0.4679 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बैरा को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा